

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ग)(106)नियम/डीएलबी/22/23-206

जयपुर, दिनांक: 19/11/24

आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ,
समस्त राजस्थान।

विषय: पशुवध गृह/मांस मछली की दुकाने बंद रखने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अयोध्या में 22 जनवरी, 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष में राज्य में स्थित सभी बूचडखाने एवं मांस मछली की दुकाने बंद रखी जावें।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(106)नियम/डीएलबी/22/207-560

दिनांक: 19/11/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान।
6. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. संयुक्त निदेशक-जनसम्पर्क, निदेशालय, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी